न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./4747/2006/अजमेर

प्रभात माली पुत्र रामदेव माली ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, अजमेर
2 दिनेश पुत्र बंशीलाल
3 रतन पुत्री बंशीलाल
सभी जाति गुरूड ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

.....रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री नत्थू राम, सदस्य

उपस्थितः
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्रीमति पूनम माथुर, राजकीय अभिभाषक
श्री आर.के.गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.6.19

1. यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे ''**काश्तकारी अधिनियम**'' कहा जायेगा) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर(जिसे आगे ''**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**'' कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 28/2005 में पारित निर्णय दिनांक 29–6–2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद (जिसे आगे '' **विचारण न्यायालय**'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2004 उनवानी '' **प्रभात बनाम सरकार**'' में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–4–2005 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर अपील अस्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देराठू के खाता नंबर 744 / 693 खसरा नंबर 1225 रकबा 5.07 बीघा बंशीलाल पुत्र जमनालाल की खातेदारी की भूमि थी। बशींलाल ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29–1–98 द्वारा अपीलार्थी / वादी को विक्रय कर दी । विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरकरण को ग्रम पंचायत देराठू ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि भूमि का हस्तांतरण अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हुआ है । तत्पश्चात अपीलार्थी / वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, , 189 के अन्तर्गत राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण वादी के पक्ष में प्रतिस्थापित करे तथा दावाकृत आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे । उक्त वाद का जबावदावा प्रस्तुत किया। दावे व जबावदावे के आधार पर पांच तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है–

(1) क्या वादी का नामान्तकरकरण ग्राम पंचायत द्वारा खारिज हो जाने से उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए ? वादी को घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार नहीं है? .....जिम्मे प्रतिवादी

(2) क्या वादी (क्रेता) जाति से माली और विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति होने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है ? .....जिम्मे प्रतिवादी

(3) क्या ग्राम पंचायत द्वारा 1 वर्ष बाद कार्यवाही किए जाने से उसका आदेश स्वतः ही निरस्तनीय है ? .....जिम्मे वादी

(4) क्या वादी (क्रेता) द्वारा दावाकृत भूमि नियमानुसार क्रय की जाने से खातेदारी, घोषणा का अधिकारी है ? .....जिम्मे वादी

(5) अनुतोष

विचारण न्यायालय ने दावे, जबावदावे, तनकियात व साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 25–4–05 द्वारा धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना होने के कारण वाद

खारिज करते हुए विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किया है।

3. विचारण न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी / वादी प्रभात द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29–6–06 द्वारा अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रभात द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है ।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी सूरत में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि अपीलार्थी ने बंशीलाल से भूमि क्रय की और बंशीलाल की जाति गरूड ब्राह्मण दर्ज है और अनुसूचित जाति की अनुसूचि में क्रमांक 27 पर गरडा, गरूड, गुरडा, गराडा अंकित है इसमें कहीं भी गरूड ब्राह्मण अंकित नहीं है विक्रेता ब्राह्मण जाति का है । ग्राम पंचायत ने मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है क्योंकि ग्राम पंचायत को 45 दिन के उपरान्त नामान्तकरण बाबत कोई हक हासिल नहीं रहता है जबकि विक्रय के एक वर्ष पश्चात नामान्तरकरण खारिज किया है जिसका उन्हें कोई क्षेत्राधिकार नहीं था । अपीलार्थी / वादी एक सद्भाविक क्रेता है उसने पूर्ण सावधानी के साथ भूमि का क्रय किया है तथा क्रय के दिन से काबिज है । उसने तीन लाख रूपये विनिवेशन करके उक्त भूमि पर विनिवेश किया है तथा कुऑ खुदवाया है राजस्व अधिकारियों ने द्वेषतावश अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत न कर धारा 42 का उल्लंधन मानकर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का वाद निरस्त कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से

निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें व वाद वादी डिक्री किया जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में ए0आई0आर0 1969 एससी पृष्ठ 597, आर0बी0जे0(25)2018 पृष्ठ 193, आर0आर0डी0 1990 पृष्ठ 617 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। इन्होंने न्यायालय के ध्यान में लाने हेतु फार्म नम्बर 3 के साथ कुछ दस्तावेज व अधिसूचना आदि प्रस्तुत की।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक महोदया ने कथन किया कि विक्रेता ने बयानों में स्वयं को अनुसूचित जाति का होना बताया है। ग्राम पंचायत जो कि ग्रामवासियों की जाति समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखती है, द्वारा विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति होने के आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया है। इन्होंने अधीनस्थ दोनो न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत बताते हुये अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि वे स्व0 श्री बंशीलाल के वारिसान है तथा विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। इन्होंने आगे कथन किया कि वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी भूमि का बेचान स्वर्ण जाति के पक्ष में नहीं हो सकता। इन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। साथ ही आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निम्न राजस्व रिकार्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रस्तुत कर उनको रेकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया –

(1) नकल जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति

(2) नकल निर्णय अतिरिक्त सिविल न्यायधीश(व.ख.) डूंगरपुर दिनांक 16–1–2007 की फोटो प्रति।

क्रम सं. 1 पर अंकित दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रिकार्ड पर लिया जाता है परन्तु द्वितीय दस्तावेज फोटो प्रति है जिससे यह दस्तावेज इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है।

10. हस्तगत अपील में अपीलार्थी / वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पर दिनांक 29.01.1998 द्वारा विवादित भूमि श्री बंशीलाल से क्रय की है। इस विक्रय पर के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का है। वादी / अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में न तो विक्रय पुत्र प्रस्तुत किया व न ही आधार वर्ष की जमाबंदी प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों को संबंधित कार्यालयों से मंगाया है। **विक्रय पत्र दिनांक 29.01.98 में क्रेता ने अपनी जाति ब्राह्मण होना** उल्लेखित किया है। **जमाबंदी ग्राम देराठू सम्वत् 2041 में विक्रेता बंशीलाल की जाति के संबंध में कौम " गरूड ब्राह्मण " दर्ज है।** राजस्थान में अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 27 पर गारो, गरूडा, गुरडा, गारोडी अंकित है। विचारण न्यायालय ने यह माना है कि विक्रय पत्र में जाति ब्राह्मण अंकित करना व जमाबंदी में गरूड ब्राह्मण अंकित होना तथा विक्रय पत्र व जमाबंदी को प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि इन भिन्नताओं का लाभ उठाकर मिलिभगत से क्रेता एवं विक्रेता ने यह बेचान किया है। इस प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि विक्रेता बंशीलाल ने स्वयं अपने बयान डीडब्ल्यू–1 में यह स्वीकार किया है कि स्वयं का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया है।

11. अब प्रकरण में विधिक स्थिति पर विचार किया जाता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 1448 / 1983 यतीश कुमार बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 30.11.1987 आर.एल.आर. 1988 (1) पेज 42 का

न्यायिक दृष्टांत महत्वपूर्ण है। इस न्यायिक दृष्टांत का पैरा नम्बर 10 निम्न प्रकार है :–

> 10. We have given our careful consideration to the aforesaid submission of the learned Add. Government Advocate, but we are unable to accept the same . The fact that the petitioner belongs to Garura community is established from the report (Annexure3) dated 31st December 1982 sumitted by tbe Naib Tehsildar, Kalwar, in relation to Hemant and Yogendra kumar, the brothers of the petitioner wherein it is stated that the said applicants were known as Garuras in village Kalwar. The inquiry report dated 24th may 1983 submitted by the Tehsildar to the Collector to which reference is made in the order (Annxure 12) dated 2nd june 1983 passed by the Collector Jaipur is also to the effect that according to the statements recorded **during the inquiry it was found that the petitioner is a Garura Brahmin.** In the reply to the writ petition filed in behalf of respondent No 1, 3 and 4 while referring to the report of tbe Naib Tehsildar it has been stated that the Naib Tehsildar has reported that the petitioner and his father were Kaushik Brahmin and were not belonging to a Scheduled Caste. On a perusal of the report of the Naib Tehsildar we find that the said report does not support the said assertion in the reply because in the said report of the Naib Tehsildar it has been clearly stated that the applicants Hemant and Yogendra Kumar sons of Kameshwar Prasad are known as Garura in village Kalwar and that if the said applicants have described themselves as Kasushik in

> their application the same is not correct and that Kaushik may be their Gotra on the basis of the aforesaid report (Annxure 3) dated 31st December 1982 by the Naib Tehsildar as well as the inquiry report dated 24 th may 1983 submitted by the Tehsildar, **there can be no doubt that the petitioner is Garura by caste and merely because Garuras claim that they are Brahmins it cannot be said that the petitioner does not belong to a Scheduled Caste**, As pointed out earlier, all Garuras trace their origin from Brahmins and therefore merely because the petitionere and the members of the family are regarded as Garuru Brahmins does not mean that they do not belong to a Scheduled Caste. The mere fact that the petitioner uses the surname Kaushik cannot disentitle him for claiming himself bt be Scheduled Caste if it is found that he is Garura by caste and the said caste has been notified as a Scheduled Caste in the presidentital order issued under clause(1) of Article 341 of the constitution.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में मुख्य रूप से इस बिन्दु पर विचार किया गया है कि ''गरूडा'' अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है परन्तु जो व्यक्ति नाम के साथ में ब्राह्मण लिखते है तो क्या वे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते है या नहीं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किसी व्यक्ति की जाति गरूड होने व उपनाम ब्राह्मण लिखने मात्र से उसे अनुसूचित जाति में मानने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

12. इस न्यायिक दृष्टांत, विक्रेता के बयान डीडब्लयू–1 व विचारण न्यायालय द्वारा की गई विवेचना कि विक्रय पत्र व अनुसूचित जाति की अनुसूची में अंकन की भिन्नताओं का लाभ उठाकर विक्रय किया है, के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

13. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2006 में विक्रेता की जाति ''गुरू ब्राह्मण'' है जबकि विचाराधीन प्रकरण गरूडा से संबंधित है जिससे इन दस्तावेजों से अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती।

14. चूंकि विक्रेता ने स्वयं अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना बताया है तथा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण विवादित भूमि को आराजी राज करने का आदेश दिया है जो विधिसम्मत है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

16. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष